दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्रसारित हरियाणा का हिन्दी दैनिक

सत्यजय टाईम्स

SJT

वर्ष-11, अंक-277 शुक्रवार 07 अक्टूबर, 2022, पृष्ठ 8, मूल्य 2 रुपये (फरीदाबाद से प्रकाशित) प्रातःकालीन संस्करण हिन्दी दैनिक

RNI NO HARHIN/2012/43543 Ph. 0129- 4042533, Email: sjtfaridabad@gmail.com @SatyajayT satyajaytimes

"महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध" पर सेमिनार का आयोजन

बल्लभगढ के अग्रवाल कालेज में पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों का स्वागत करती सेमीनार की आयोजक प्राध्यापिका। छाया: सत्यजय टाईम्स/पुष्पा अग्रवाल।

बल्लभगढ़, 06 अक्टूबर, सत्यजय टाईम्स/गोपाल अरोडा। वीरवार को अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में आंतरिक शिकायत कमेटी और महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। "महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध विषय पर आयोजित इस सेमीनार में मुख्य वक्ता के रूप में इंस्पेक्टर सविता रानी(प्रभारी वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, जागरूकता अभियान बल्लभगढ़) एवं सब इंस्पेक्टर रामचंद्र अधिकार उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में कार्यक्रम अधिकारी कमल टंडन ने अतिथियों को पौधा देखकर सम्मानित किया।

डॉ. गीता गुप्ता ने अतिथियों का परिचय देते हुए स्वागत किया। इंस्पेक्टर सविता रानी ने अपने वक्तव्य में वर्तमान परिवेश में बढ़ते अपराधों की ओर प्रकाश डालते हुए विस्तृत जानकारियां दी। उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि नारी खुद ही सम्मान की पात्र है उसे अपनी गरिमा को बनाए रखना है। ना तो उसे अपने ऊपर कोई अपराध सहने की आवश्यकता है और ना ही वह झूठे आरोप-प्रत्यारोप में फंसे। छात्रों को भी उन्होंने महिलाओं की इज्जत करने के बारे में बताया और बताया कि 354 अस DY एक्ट के तहत किसी पर फब्तियां कसना, किसी महिला को तंग करना आदि कौन-कौन से अपराधों पर कौन-कौन से दंड लागू किए जाते हैं।उन्होंने छात्राओं को समझाया कि कानून का दुरुपयोग ना करें और कोई भी परेशानी होने पर 10 98पर 18 वर्ष कम उम्र की युवा हेल्प के लिए फोन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न इत्यादि विषयों पर विस्तृत चर्चा की और आईटी एक्ट में किस अपराध के तहत कितना जुर्माना लगाया जाता है।

इसके बारे में विस्तार से बताया मादक पदार्थों का सेवन ना करें 90508 91508 पर कोई भी ड्रग संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बढ़ने वाले अपराध पर प्रकाश डाला। सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जी ने साइबर अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि साइबर अपराध का असीमित दायरा है। इसमें आज बहुत से अपराध बढ़ते जा रहे हैं जिसमें मुख्य रुप से आपकी आईडी का गलत प्रयोग किया जाता है। अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा ना करें। अनजान व्यक्ति से फोन पर अपने ओटीपी वगैरा शेयर ना करें।इन साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है इसके लिए उन्होंने 112 नंबर हेल्पलाइन के लिए बताया जिससे आप किसी भी तरह की हेल्प ले सकते है। 1 930 केवल साइबर क्राइम के लिए है जो आपकी मदद कर सकता है इस पर आप सूचना दे सकते हैं। साथ-साथ cybercriZegov.coZ website के बारे में बताया जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आधुनिक समय में साइबर अपराध से बचने के लिए आप को जागरूक रहना आवश्यक है।

आप स्वयं जागरूक हो और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। जागरूकता के द्वारा ही हम इन अपराधों से बच सकते है कार्यक्रम के अंत में एएसआई सुरेश बाला ने अपनी टीम के साथ आत्मरक्षा के गुर बताएं एवं उनका प्रदर्शन किया।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्रसारित हरियाणा का हिन्दी दैनिक

सत्यजय टाईम्स

SJT

वर्ष-11, अंक-277 शुक्रवार 07 अक्टूबर, 2022, पृष्ठ 8, मूल्य 2 रुपये (फरीदाबाद से प्रकाशित) प्रातःकालीन संस्करण हिन्दी दैनिक

RNI NO HARHIN/2012/43543 Ph. 0129- 4042533, Email: sjtfaridabad@gmail.com @SatyajayT satyajaytimes

"महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध" पर सेमिनार का आयोजन

बल्लभगढ़, 06 अक्टूबर, सत्यजय टाईम्स/गोपाल अरोड़ा। वीरवार को अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में आंतरिक शिकायत कमेटी और महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। "महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध विषय पर आयोजित इस सेमीनार में मुख्य वक्ता के रूप में इंस्पेक्टर सविता रानी(प्रभारी वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, जागरूकता अभियान बल्लभगढ़) एवं सब इंस्पेक्टर रामचंद्र अधिकार उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में कार्यक्रम अधिकारी कमल टंडन ने अतिथियों को पौधा देखकर सम्मानित किया।

बल्लभगढ के अग्रवाल कालेज में पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों का स्वागत करती समीनार की आयोजक प्राध्यापिका।
छाया: सत्यजय टाईम्स/पुष्पा अग्रवाल।

डॉ. गीता गुप्ता ने अतिथियों का परिचय देते हुए स्वागत किया। इंस्पेक्टर सविता रानी ने अपने वक्तव्य में वर्तमान परिवेश में बढ़ते अपराधों की ओर प्रकाश डालते हुए विस्तृत जानकारियां दी। उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि नारी खुद ही सम्मान की पात्र है उसे अपनी गरिमा को बनाए रखना है। ना तो उसे अपने ऊपर कोई अपराध सहने की आवश्यकता है और ना ही वह झूठे आरोप-प्रत्यारोप में फंसे। छात्रों को भी उन्होंने महिलाओं की इज्जत करने के बारे में बताया और बताया कि 354 अस DY एक्ट के तहत किसी पर फब्तियां कसना, किसी महिला को तंग करना आदि कौन-कौन से अपराधों पर कौन-कौन से दंड लागू किए जाते हैं।उन्होंने छात्राओं को समझाया कि कानून का दुरुपयोग ना करें और कोई भी परेशानी होने पर 10 98पर 18 वर्ष कम उम्र की युवा हेल्प के लिए फोन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न इत्यादि विषयों पर विस्तृत चर्चा की और आईटी एक्ट में किस अपराध के तहत कितना जुर्माना लगाया जाता है।

इसके बारे में विस्तार से बताया मादक पदार्थों का सेवन ना करें 90508 91508 पर कोई भी ड्रग संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बढ़ने वाले अपराध पर प्रकाश डाला। सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जी ने साइबर अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि साइबर अपराध का असीमित दायरा है। इसमें आज बहुत से अपराध बढ़ते जा रहे हैं जिसमें मुख्य रुप से आपकी आईडी का गलत प्रयोग किया जाता है। अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा ना करें। अनजान व्यक्ति से फोन पर अपने ओटीपी वगैरा शेयर ना करें इन साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है इसके लिए उन्होंने 112 नंबर हेल्पलाइन के लिए बताया जिससे आप किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। 1 930 केवल साइबर क्राइम के लिए है जो आपकी मदद कर सकता है इस पर आप सूचना दे सकते हैं। साथ-साथ cybercriZegov.coZ website के बारे में बताया जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आधुनिक समय में साइबर अपराध से बचने के लिए आप को जागरूक रहना आवश्यक है।

आप स्वयं जागरूक हो और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। जागरूकता के द्वारा ही हम इन अपराधों से बच सकते है कार्यक्रम के अंत में एएसआई सुरेश बाला ने अपनी टीम के साथ आत्मरक्षा के गुर बताए एवं उनका प्रदर्शन किया।